न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर

बइजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी आर.ए.एस.
मुकदमा नं. 29/2019

प्रार्थी :–
माणु पुत्र तेजा जाति गुर्जर निवासी बांसेडा बांसेड तहसील परबतसर

अप्रार्थी :–
तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

–: निणर्य :–

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बरूण के खसरा नं. 379 रकबा 0.4800 हैक्टर में भागू पुत्र तेजा 1/3 कौम गुर्जर सा बासेड संवत् 2073–76 की जमाबन्दी में दर्ज है। सन् 1975 में खरीद के समय नामा. सं. 75 में माणु पुत्र तेजा कौम गुर्जर था परन्तु जमाबन्दी संवत् 2052–55 की खतोनी में माणु के स्थान पर भागू कर दिया गया । जिसे शुद्ध करवाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार परबतसर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत जबाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब/रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम माणु पुत्र तेजा होना स्वीकार किया जाकर एवं प्रार्थी के आवेदन अनुसार भागू पुत्र तेजा के स्थान पर माणु पुत्र तेजा शुद्धि किया जाना उचित होने बाबत रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2032–35, 2052–55, 2073–76 एवं नामान्तकरण सं. 75 की प्रतियां एवं शपथ पत्र पेश किया जो शा.मि. किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट का अवलोकन किया ग्राम बरूंण के खसरा नं. 379 रकबा 0.4800 हैक्टर के जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में माणु पि. तेजा दर्ज है जबकि जमाबन्दी संवत् 2052–2055 में प्रार्थी का नाम भागू पुत्र तेजा अंकित हो रखा है। तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रार्थी का नाम माणु पुत्र तेजा होना प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेशित किया जाता है ग्राम बरूण के खसरा नं. 379 रकबा 0.4800 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में अंकित भागू पुत्र तेजा हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा. बांसेड. के स्थान पर माणु पुत्र तेजा हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा. बांसेड. अंकित किया जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी परबतसर नागौर